(66)

विलोपित विलोपित

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 R 556 I/15–16 निगरानी निग – 556 – I – 16

राजेन्द्र सिंह पुत्र शिवचरनसिंह जाति किरार ठाकुर (राजपूत) निवासी वी0टी0आई0 के सामने ए0बी0रोड मुरैना तह0 व जिला मुरैना म0प्र0 ..........................................आवेदक

श्री ... शर्मा अभि० द्वारा आज 16-2-16 को प्रस्तुत

16.2.16

बनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना

..................................अनावेदक

**निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 12/02/2016 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय मुरैना के प्र0क्र0 2/11–12×अ/68 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959**

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जौरा खुर्द तह0 व जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे क्र0 184 शासकीय अंकित है।

2– यह कि आवेदक की भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्र0 184 के अंश भाग 6×85 पर ग्राम पंचायत जौरा खुर्द से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कराया गया।

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक— निगरानी 556—एक / 16 जिला— मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कर्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16—2—16 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी राजीव गौतम उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया ।<br>2/ प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्र0क0 23 / 13—14 / बी—121 / में पारित आदेश दिनांक 25—9—14 द्वारा आवेदक के व्यवस्थापन प्रकरण को निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील क्रमांक 13 / 14—15 लंबित है आवेदक का कहना है कि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.5.16 नियत है। इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश अवैधानिक है । विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता के तर्कों में बल प्रतीत होता है अतः यह निगरानी इस निर्देश के साथ निराकृत की जाती है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्र0क0 2 / 11—12 / अ—68 के आलोच्य आदेश दिनांक 12—2—16 का क्रियान्वयन तीन माह अथवा अपर आयुक्त के समक्ष लंबित अपील प्र0क0 13 / 14—15 में स्थगन पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने तक ( जो भी पहले हो ) स्थगित रखा जाये । अपर आयुक्त उनके समक्ष लंबित प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें ।<br>सदस्य | |